

## —:सामुदायिक शौचालय:—

जनपद की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु स्वयं सहायता समूह को हैण्डओवर किया गया है, जिसमें समूह की एक सदस्य को केयर-टेकर के रूप में रखा गया है। केयर-टेकर द्वारा सामुदायिक शौचालय को पूर्वान्ह 05:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा सायं 04:00 से 08:00 तक खोला जाता है, जिसमें व्यक्तिगत शौचालय से वंचित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। केयर-टेकर को रू0 6000.00 मानदेय दिया जाता है।